[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0. 79/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

सा.का.नि. (अ). – सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 और 4 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उप-धारा (2) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा सा.का.नि. संख्या 1018 (अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0. 131/2016 – सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 में पुन: निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अध्याय – 71 में,-

(क) टैरिफ मद 711301 के समक्ष,-

(i) कालम (4) की प्रविष्टि में, "261.5" अंकों के स्थान पर, "246.5" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कालम (6) की प्रविष्टि में, "261.5" अंकों के स्थान पर, "246.5" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 711302 के समक्ष,-

(i) कालम (4) की प्रविष्टि में, "3733.3" अंकों के स्थान पर, "3513.8" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कालम (6) की प्रविष्टि में, "3733.3" अंकों के स्थान पर, "3513.8" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) टैरिफ मद 711401 के समक्ष,-

(i) कालम (4) की प्रविष्टि में, "3733.3" अंकों के स्थान पर, "3513.8" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कालम (6) की प्रविष्टि में, "3733.3" अंकों के स्थान पर, "3513.8" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं0. 609/58/2017-डीबीके]

(धर्मवीर शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिपण्णी: प्रधान अधिसूचना सं0. 131/2016-सीमा शुल्क (गै.टे), दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1018 (अ) दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया तथा इसमें भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में

सा.का.नि. संख्या 954 (अ) दिनांक 26 जुलाई, 2017 के तहत प्रकाशित अधिसूचना सं0. 73/2017- सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 26 जुलाई, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था ।